# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
# (पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

**पंचायत निगरानी संख्याः 10/2021**

**प्रार्थीगण**

(1) मनोहरसिंह पुत्र खेतदानजी, जाति–चारण, निवासी–वलदरा, तह. व जिला– सिरोही
(2) मंगलसिंह पुत्र धर्मदानजी, जाति–चारण, निवासी–वलदरा, तह. व जिला–सिरोही

**बनाम**

**अप्रार्थीगण**

(1) ग्राम पंचायत, सरतरा जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, सरतरा तह. व जिला सिरोही
(2) ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, सरतरा, तहसील जिला सिरोही
**(3) सोनाराम पुत्र मनाराम जी, जाति–मेघवाल, निवासी–वलदरा तह. व जिला सिरोही**

**"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"**

**उपस्थितिः**

(1) अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी, प्रार्थीगण की ओर से

**–: निर्णय :–** **दिनांक 18 मार्च, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा अप्रार्थी **सोनाराम पुत्र मनाराम जी, जाति– मेघवाल,** निवासी– वलदरा के पक्ष में जारी पट्टा संख्या **19 दिनांक 24.9.2012** को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये एवं ग्राम पंचायत, सरतरा से प्रश्नगत पट्टे से संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि तलब की गई। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) की ओर से अधिवक्ता श्री भंवर सिंह देवडा एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री धनाराम देवासी उपस्थित हुये। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत नही करने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का जवाब बन्द किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से भी जवाब प्रस्तुत नही हुआ। सुनवाई तिथि 17.5.2022 को अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) के अधिवक्ता द्वारा इस प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) की ओर से पैरवी के कोई निर्देश नही (No Instruction) होना व्यक्त किया। उसके बाद प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 3 या उसकी ओर से किसी अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति नही दी जाने से अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता उपस्थित नही हुये।

(3) बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री पुरी ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम वलदरा, पटवार हल्का सरतरा, तहसील सिरोही में आई हुई है जिसके खसरा संख्या 910 रकबा 0–7400 हेक्टेयर है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि पूर्व में शांतिलाल पुत्र पुनमाजी, जाति–कुम्हार, निवासी–वलदरा के नाम से दर्ज थी एवं इस कृषि भूमि को पंजीकृत विक्रय विलेख के जरिये शांतिलाल पुत्र पुनमाजी, जाति–कुम्हार, निवासी–वलदरा से प्रार्थीगण ने खरीद की है। उक्त भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि नही है। ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में ही पट्टा जारी करने का अधिकार है, लेकिन ग्राम पंचायत, सरतरा के सरपंच व सचिव द्वारा प्रार्थीगण की

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

खातेदारी की कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) को नियम विरुद्ध पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत, सरतरा के सरपंच व सचिव द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 से मेलमिलाप कर कुटरचित तरीके से अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी कृषि भूमि में पट्टा जारी किया है। ऐसी स्थिति में, ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में जो पट्टा विलेख जारी किया है वह कानूनन अवैध व शून्य है, जिसके आधार पर अप्रार्थी संख्या 3 को कोई हक अधिकार पैदा नहीं होते है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व भूमि के संबंध में किसी प्रकार की कोई जांच नही की गई है एवं पंचायत के स्वामित्व की भूमि नहीं होते हुए भी व यह जानते हुए कि उक्त भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि है में अप्रार्थी संख्या 3 को अवैध व नियम विरुद्ध पट्टा जारी किया है। यह कि प्रार्थीगण द्वारा एक राजस्व वाद सहायक कलेक्टर न्यायालय, सिरोही में अप्राथी संख्या 3 के विरुद्ध खातेदारी भूमि में अवैध कब्जा करके अतिक्रमण करने से अवैध कब्जे को हटाने हेतु प्रस्तुत किया है, जिसके राजस्व वाद संख्या 724/2019 है। उक्त राजस्व वाद में स्वयं अप्रार्थी संख्या 3 व अन्य ने जवाब पेश किया है एवं उक्त जवाब के पैरा संख्या 2 में पट्टाधारियों ने यह स्पष्ट कथन किया है कि उक्त भूमि शांतिलाल पुत्र पुनमाजी के नाम दर्ज थी लेकिन उसका कब्जा काश्त नहीं रहा है। इससे यह तथ्य स्पष्ट रुप से साबित होता है कि उक्त भूमि कृषि भूमि है जो ग्राम पंचायत की आबादी भूमि नही है एवं ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के हक में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में पट्टा जारी किया है। यह कि यदि पूर्व खातेदार शांतिलाल काबिज काश्त नहीं था और अप्रार्थी संख्या 3 ने अवैध अतिक्रमण किया था तो अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा खातेदार के विरुद्ध अपने हक में सक्षम न्यायालय में वाद पेश कर सकते थे, लेकिन अप्रार्थी संख्या 3 ने ग्राम पंचायत, सरतरा के सरपंच व सचिव ने मेल मिलाप कर अपने हक में पट्टा जारी करवाया है। राजस्थान पंचायती राज नियमों के तहत ग्राम पंचायत को केवल ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने का अधिकार है। ग्राम पंचायत को किसी व्यक्ति की खातेदारी कृषि भूमि में पट्टे जारी करने का कानूनन कोई अधिकार नही है उसके बावजूद भी ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का नियम विरुद्ध पट्टा जारी किया है। अतः प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 18 दिनांक 03.6.2009 को निरस्त किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा अप्रार्थी सोनाराम पुत्र मनाराम जी मेघवाल, निवासी— वलदरा के पक्ष में पंचायत संकल्प संख्या 5 दिनांक 20.9.2012 के अनुसरण में क्षेत्रफल 1586 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 19 दिनांक 24.9.2012 को जारी किया गया है, जो उक्त सकंल्प संख्या 5 दिनांक 20.9.2012 के अनुसार राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत आबादी भूमि में बने हुए पुराने आवासीय गृहों का विनियमितिकरण करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किये जाने का प्रावधान है।

इस संबंध में प्रार्थी निगरानीकर्ता का मुख्यतः कथन यह है कि ''प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम वलदरा, पटवार हल्का सरतरा, तहसील सिरोही में आई हुई है जिसके खसरा संख्या 910 रकबा 0—7400 हेक्टेयर है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि पूर्व में शांतिलाल पुत्र पुनमाजी, जाति—कुम्हार, निवासी—वलदरा के नाम से दर्ज थी एवं इस कृषि भूमि को पंजीकृत विक्रय विलेख के जरिये शांतिलाल पुत्र पुनमाजी, जाति—कुम्हार, निवासी—वलदरा से प्रार्थीगण ने खरीद की है। उक्त भूमि ग्राम पंचायत की आबादी

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला ... सिरोही

भूमि नही है। ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में ही पट्टा जारी करने का अधिकार है, लेकिन ग्राम पंचायत, सरतरा के सरपंच व सचिव द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) को नियम विरुद्ध पट्टा जारी किया गया है।''

इस संबंध में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत 2070—2073 वास्तविक संवत 2070 में ग्राम वलदरा, पटवार हल्का सरतरा के खसरा संख्या 910 रकबा 0—7400 हेक्टेयर भूमि श्री शांतिलाल पुत्र पूनमा जी, जाति— कुम्हार, निवासी— वलदरा के नाम दर्ज थी, जो प्रार्थी मनोहरसिंह द्वारा श्री शांतिलाल पुत्र पूनमा जी कुम्हार से पंजीकृत विक्रय विलेख के द्वारा क्रय किये जाने के बाद प्रार्थी मनोहर सिंह के नाम दर्ज हुई। तत्पश्चात् प्रार्थी मनोहरसिंह द्वारा इसमें 1/2 हिस्से का प्रार्थी मंगलसिंह के पक्ष में विक्रय विलेख पंजीयन करवाया है। प्रकरण में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) के पक्ष में जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है, वह भूमि ग्राम पंचायत, सरतरा की आबादी भूमि नही होकर खातेदारी की भूमि है, जबकि किसी व्यक्ति की खातेदारी भूमि में पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नही है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियमों के अर्न्तगत ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने का अधिकार है।

## आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थीगण, अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा अप्रार्थी **सोनाराम पुत्र मनाराम जी मेघवाल, निवासी— वलदरा** के पक्ष में पंचायत संकल्प संख्या 5 दिनांक 20.9.2012 के अनुसरण में क्षेत्रफल **1586** वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 19 दिनांक 24.9.2012 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत, सरतरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि के मौके एवं रेकर्ड की जांच करके विधि सम्मत कार्यवाही करे। इसी मुताबिक पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18 मार्च, 2025 को सर—ए—ईजलास सुनाया गया।

**(डॉ. दिनेश राय सापेला)**
**अतिरिक्त जिला कलेक्टर,**
**सिरोही**